आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2019–20/519 दिनांक– 22/10/19

रजिस्ट्रार
समस्त विश्वविद्यालय
राजस्थान

विषय– महाविद्यालयों द्वारा छात्रवृति पोर्टल पर कोर्स मैपिंग/अनुमोदन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान स्थित राजकीय/निजी महाविद्यालयों द्वारा वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में कोर्स मैपिंग उपरान्त उक्त का संबंधित विश्वविद्यालयों से अनुमोदन चाहा गया है। जिससे की छात्रवृति पोर्टल (http://scholarship.rajasthan.gov.in) पर महाविद्यालय का नाम प्रदर्शित हो सके तथा विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन छात्रवृति आवेदन किया जा सके।

महाविद्यालयों द्वारा कोर्स मैपिंग उपरान्त इसका संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा समय पर अनुमोदन (Verify) नहीं करने से विद्यार्थियों को कठिनाई आ रही हैं।

अतः विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को निर्देशित करें कि वे जिन महाविद्यालयों द्वारा कोर्स मैपिंग का अनुमोदन चाहा गया है । उनका साथ ही साथ अनुमोदन करें जिससे कि विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जा सके।

कृपया इस कार्य को प्राथमिकता प्रदान करावें।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2019–20/520-21 दिनांक : 22/10/19

प्रतिलिपि–

1. समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त वर्षों में संचालित कोर्स मैंपिंग/अनुमोदन संबंधित विश्वविद्यालय से व्यक्तिशः सम्पर्क कर शीघ्रता शीघ्र कराने का श्रम करें जिससे कि आपके महाविद्यालय का नाम छात्रवृति पोर्टल पर प्रदर्शित हो सके तथा छात्र/छात्रायें समय पर छात्रवृति ऑनलाईन आवेदन कर सके।
2. प्रभारी, वेबसाइट को अपलोड हेतु एवं संबंधित विश्वविद्यालयों को ई–मेल प्रेषण बाबत।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर

D:/ Shortcut For Some Folders/ Online Schlorship/